

USHA DEEP ACADEMY OF INSURANCE & FINANCE

INSURANCE SURVEYOR'S EXAMINATION

Bilingual Guidebook: English & हिन्दी

Subject: S-06 MOTOR INSURANCE (For Surveyors)

Chapter No.	Name of The Chapter	Page No.
1	INTRODUCTORY: History of Motor Insurance	1 - 26
2	MARKET PRACTICE OF MOTOR INSURANCE IN INDIA	27-59
3	MOTOR INSURANCE UNDERWRITING	60-110
4	TYPES OF MOTOR POLICIES	111-169
5	POLICY DOCUMENTS & ADD ON COVERS	170-194
6	MOTOR INSURANCE OWN DAMAGE CLAIMS	195-258
7	THIRD PARTY LIABILITY CLAIMS IN INDIA	259-292
8	MOTOR ACCIDENTS CLAIMS TRIBUNAL	293-348
9	LEGAL ASPECTS	349-383
10	IMPORTANCE OF MOTOR VEHICLE ACT	384-427
11	GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM	428-444
12	FRAUD MANAGEMENT AND INTERNAL AUDIT	445-464
13	USE OF TECHNOLOGY IN MOTOR INSURANCE	465-473

Attention

Bilingual (English & हिन्दी) Guidebook of S-06: Motor Insurance for Surveyors: @ Rs. 1350/=

Video Lecture of S-06: Motor Insurance for Surveyors: @ Rs. 3300/=

Bilingual Test Package (400 Qs.) of S-03: @ Rs. 1300/=

Sample Pages of Bilingual Guidebook

Chapter – 1: INTRODUCTORY: History of Motor Insurance	
History of Motor Insurance	<p>a) Motor Insurance: Motor Insurance, a fascinating branch of insurance, had its beginning in the United Kingdom in the early part of the last century. The first motor car was introduced into England in 1894. / मोटर बीमा, बीमा की एक आकर्षक शाखा, की शुरुआत पिछली शताब्दी के आरंभ में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। पहली मोटर कार 1894 में इंग्लैंड में पेश की गई थी।</p> <ul style="list-style-type: none">i. Third party liability insurance: The first motor policy was introduced 1895 to cover third party liabilities. / तृतीय पक्ष देयता बीमा: तृतीय पक्ष देनदारियों को कवर करने के लिए पहली मोटर पॉलिसी 1895 में शुरू की गई थी।ii. Comprehensive insurance: By 1899, accidental damage to the car was added to the policy, thus introducing, the 'comprehensive policy' along the lines of the policy issued today. / व्यापक बीमा: 1899 तक, कार को आकस्मिक क्षति को पॉलिसी में जोड़ा गया था, इस प्रकार आज जारी पॉलिसी की तर्ज पर 'व्यापक पॉलिसी' की शुरुआत की गई।iii. First motor insurance company: In 1903, the Car and General Insurance Corporation Ltd. was established mainly to transact motor insurance, followed by other companies. / पहली मोटर बीमा कंपनी: 1903 में, मुख्य रूप से मोटर बीमा का संचालन करने के लिए कार एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, इसके बाद अन्य कंपनियों की स्थापना की गई।iv. Compulsory third party insurance: After World War I, there was considerable increase in the number of vehicles on the road as also in the number of road accidents. Many injured persons in road accidents were unable to recover damages because not all motorist were insured. This led to the introduction of compulsory third party insurance through the passing of the Road Traffic Acts, 1930 and 1934. The compulsory insurance provisions of these Acts have been consolidated by the Road Traffic Act, 1960. / अनिवार्य तृतीय पक्ष बीमा: प्रथम विश्व युद्ध के बाद सड़क पर वाहनों की संख्या के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए कई लोग क्षति की भरपाई करने में असमर्थ थे क्योंकि सभी मोटर चालकों का बीमा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सड़क यातायात अधिनियम, 1930 और 1934 के पारित होने के माध्यम से अनिवार्य तृतीय पक्ष बीमा की शुरुआत हुई। इन अधिनियमों के अनिवार्य बीमा प्रावधानों को सड़क यातायात अधिनियम, 1960 द्वारा समेकित किया गया है। <p>b) Law and Practice of Motor Insurance in India: / भारत में मोटर बीमा का कानून और अभ्यास:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Motor Vehicles Act, 1939: The Motor Vehicles Act was passed in 1939 introducing the law relating to compulsory third party insurance. / मोटर वाहन अधिनियम, 1939: मोटर वाहन अधिनियम 1939 में अनिवार्य तृतीय पक्ष बीमा से संबंधित कानून पेश करते हुए पारित किया गया था।

- ii. Motor Vehicles Act, 1988: The Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) has replaced the earlier 1939 Act, and it became effective from 1 July 1989. / मोटर वाहन अधिनियम, 1988: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) ने पहले के 1939 अधिनियम का स्थान ले लिया है, और यह 1 जुलाई 1989 से प्रभावी हो गया है।
- iii. Transition from Tariff to non-Tariff: The business was governed by a Tariff till December 2006, and from 1* January 2007 it is now non-Tariff. However, IRDA, the Indian regulatory authority for insurance has directed insurers in India to continue to follow the Tariff policy wordings, principles of insurance and associated legal aspects of Motor Insurance Contracts. / टैरिफ से गैर-टैरिफ में परिवर्तन: व्यवसाय दिसंबर 2006 तक टैरिफ द्वारा नियंत्रित था, और 1* जनवरी 2007 से यह अब गैर-टैरिफ हो गया है। हालाँकि, बीमा के लिए भारतीय नियामक प्राधिकरण, आईआरडीए ने भारत में बीमाकर्ताओं को टैरिफ में उल्लिखित पॉलिसी शब्दों, बीमा के सिद्धांतों और मोटर बीमा अनुबंधों से संबंधित कानूनी पहलुओं का पालन करने को जारी रखने का निर्देश दिया है।
- iv. Completion of Detariffing – De-notification of all tariffs: IRDAI has denotified all the existing tariffs like fire, motor, Workmen Compensation, Engineering except Motor Third Party w.e.f. 01/04/2024. However, the insurers cannot discourage or refuse to offer the existing tariff products. Motor Third Party will continue to be governed by the tariff. Insurers are now free to design their own products and policy wording subject to the IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024. This will be to customization of general insurance products to suit the needs of different segments of customers. This completes the process of de-tariffing. / डिटैरिफिंग प्रक्रिया का समापन - सभी टैरिफ की अधिसूचना: IRDAI ने 01/04/2024 से मोटर थर्ड पार्टी को छोड़कर सभी मौजूदा टैरिफ जैसे फायर, मोटर, वर्कमैन-मुआवजा, इंजीनियरिंग को डिनोटिफाइड कर दिया है। हालाँकि, बीमाकर्ता मौजूदा टैरिफ उत्पादों की पेशकश को हतोत्साहित या अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मोटर थर्ड पार्टी टैरिफ द्वारा नियंत्रित होती रहेगी। बीमाकर्ता अब आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 के अधीन अपने स्वयं के उत्पादों और पॉलिसी शब्दों को डिजाइन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह ग्राहकों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामान्य बीमा उत्पादों को अनुकूलित करने के लिए होगा। इससे डी-टैरिफिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- c) New Trends in Motor Insurance: General insurance industry has seen new trends and motor insurance is one of the chief contributors. / मोटर बीमा में नए रुझान: सामान्य बीमा उद्योग में नए रुझान देखे गए हैं और मोटर बीमा प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।
- i. Increased Volume of Claims: A high number of claims are to be processed in Motor TP segment. The insurance industry has achieved a very high growth rate. / दावों की बढ़ी हुई मात्रा: मोटर टीपी

सेगमेंट में बड़ी संख्या में दावों पर कार्रवाई की जानी है। बीमा उद्योग ने बहुत ऊंची विकास दर हासिल की है।

- i. **Lack of Standardized Processes:** The industry is in strong need for benchmarking the processes to global best practices. The online sale of standard Motor Insurance Policies has contributed to almost 7-8 % of the total premium so far. / मानकीकृत प्रक्रियाओं का अभाव: उद्योग को प्रक्रियाओं को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बेंचमार्क करने की सख्त आवश्यकता है। मानक मोटर बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन बिक्री ने अब तक कुल प्रीमियम का लगभग 7-8% योगदान दिया है।
- ii. **Increased Litigation Costs:** The current trend is 72% of TP claims go into litigations. A strong need is felt to have standard compensation packages for which the insurance industry is constantly pursuing, as it will lead to drastic reduction in number of cases going to the Tribunals making available instant compensation to hapless accident victims and their families and reducing the work load of judiciary. / मुकदमेबाजी लागत में वृद्धि: वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि टीपी दावों का 72% मुकदमेबाजी में चला जाता है। मानक-मुआवजा-पैकेज की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके लिए बीमा उद्योग लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि इससे न्यायाधिकरणों में जाने वाले मामलों की संख्या में भारी कमी आएगी, जिससे असहाय दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध होगा और न्यायपालिका पर काम का बोझ कम होगा।
- iii. **Technology:** The advent of newer technology has brought in efficiency in processing claims, increased analysis is possible and a good deal of IT security has become necessary. / प्रौद्योगिकी: नई प्रौद्योगिकी के आगमन से दावों के निस्तारण में दक्षता आई है, विश्लेषण में वृद्धि संभव है और आईटी सुरक्षा का एक अच्छा उपयोग आवश्यक हो गया है।
- iv. **Increasing Frauds:** We are in dire need to introduce some methodology which will ensure 100% Third party insurance be it levy on sale of petrol or Third-party long-term insurance enforced by RTA with Registration of Vehicle. The advent of new technology and online policies have made easy for customers to buy insurance but at the same time have also increased frauds by deceiving the technology loopholes. / बढ़ती धोखाधड़ी: हमें कुछ ऐसी कार्यप्रणाली शुरू करने की सख्त जरूरत है जो 100% तृतीय पक्ष बीमा सुनिश्चित करेगी, चाहे वह पेट्रोल की बिक्री पर लेवी हो या वाहन के पंजीकरण के साथ आरटीए द्वारा लागू तृतीय-पक्ष दीर्घकालिक बीमा हो। नई प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन पॉलिसियों के आगमन ने ग्राहकों के लिए बीमा खरीदना आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही प्रौद्योगिकी की कमियों के कारण धोखाधड़ी भी बढ़ी है।
- v. **Increased Competition:** As per The Motor Vehicles Act, 1988 the insurance of all motor vehicles is mandatory, if the insurance companies arrange insurance and renewal of the insurance

	<p>policies of all these uninsured vehicles (which is their basic duty) then the incurred claim ratio would further come down. / बढ़ती प्रतिस्पर्धा: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार सभी मोटर वाहनों का बीमा अनिवार्य है, यदि बीमा कंपनियाँ इन सभी बिना बीमा वाले वाहनों की बीमा पॉलिसियों का बीमा और नवीनीकरण करती हैं (जो कि उनका मूल कर्तव्य है) तो व्यय दावा अनुपात और कम होगा।</p>
--	---

End of Sample Pages.